Seventeenth Loksabha

an>

Need to amend Food Safety and Standards Act, 2006 to facilitate sale of loose edible oil

श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा फूड एंड सेफ्टी बिल लोक सभा में लाया गया था, जिसे वर्ष 2011 में सदन ने पारित कर लागू कर दिया है। इस बिल में खुदरा खाद्य तेल की बिक्री के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, जिस कारण सबंधित विभाग इसका कड़ाई से पालन करने के कारण विक्रेता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी देश भर में लगभग 60 प्रतिशत लोग जो मध्यम एवं निम्न वर्ग के हैं, जो खुदरा खाद्य तेल का उपयोग करते है क्योकि डब्बा बंद तेल से काफी कम दामों में खुदरा खाद्य तेल बाजार में उपलब्ध है ।

अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो पूर्व की सरकार ने ये फूड एवं सेफ्टी बिल को लागू करवाया है, वह निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों के हितकारी नहीं है तथा जनता एवं खुदरा व्यपारियों के लिए इसलिए इस बिल में सुधार करते हुए खुदरा खाद्य तेल की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति देने का कष्ट करें, जिससे कि मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोंगों को राहत मिले।